

प्रश्न सं. [क. 1525]

प्रपत्र-अ

विधानसभा ताराकित प्रश्न क्रमांक 1525 द्वारा श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया

सुसज्जीय

स. क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति (लाख में)	निविदा के संबंध में जानकारी	अनुयोजित लागत (लाख में)	संविदाकार का नाम	अद्यतन भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अद्यतन वित्तीय प्रगति (लाख में)	आर.ओ.डी निर्माण कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही	कार्य करने में आ रही रुकावट/अन्य प्रायोजन के समाधान/हल करने के संबंध में क्या कार्यवाही	स्थान
1	1. सागर शहर में गुड़ा-लिबोरा-डुगासरा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समुपार क्रमांक-32 पर आर.ओ.डी. निर्माण।	1885.38 दिनांक 21.03.22	1963.22 दिनांक 26.04.22	निविदा आमंत्रण दिनांक-19.05.22 (मुख्य अभियंता लो.नि.वि. सेतु परिक्षेत्र भोपाल द्वारा) निविदा स्वीकृति दिनांक-28.12.22 (सचिव म.प्र. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय भोपाल द्वारा) एल.ओ.ए. दिनांक-12.01.23 (कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु संभाग सागर द्वारा) कार्यादेश दिनांक-25.01.23 (कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु संभाग सागर द्वारा)	6 1864.86 (5.01% प्रतिशत कम SOR)	मेसर्स त्रिशूल कंसल्टिंग भोपाल (म.प्र.)	3% वर्तमान में कार्य बंद।	62.52	1. कार्य हेतु अनुबंध निष्पादन उपरांत संविदाकार द्वारा उनके कंसल्टेंट के माध्यम से डिजाइन/ड्राईंग का अनुमोदन कराया गया। तदुपरांत स्वीकृत ड्राईंग अनुसार कार्य प्रारंभ कराया गया। 2. रेल्वे विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 06.05.2024 से निर्माण कार्य बंद है। कार्य प्रारंभ करने के हेतु दिनांक 13.01.2025 को रेल्वे विभाग को लेख किया गया है।	11 1. कार्य अंतर्गत आने वाली विद्युत पोल/लाईन शिफ्ट किये जा चुके हैं। 2. कार्य अंतर्गत अनिवार्य भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके अंतर्गत धारा-7 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	12 लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र निर्माण कार्य करने हेतु सहमत है। परन्तु आर.ओ.डी. निर्माण कार्य हेतु रेल्वे विभाग की सहमति उपरांत ही प्रारंभ कराया जाना संभव होगा।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, परिक्षेत्र
भोपाल